

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Panchkula Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

20/08/2025 16:08 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Wednesday

Date from (दिनांक से):

20/08/2025

Date To (दिनांक तक):

20/08/2025

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 00:00

hrs

Time To (समय तक): 11:50

hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक):

20/08/2025

Time (समय): 15:11

hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 013

Date and Time

(दिनांक और समय):

20/08/2025 15:11

hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 110 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): कमानी चौक जिला यमुनानगर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): नितिन कुमार

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री प्रेमचन्द

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1980

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	जोगी मोहल्ला, व्यासपुर, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	जोगी मोहल्ला, व्यासपुर, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

- (i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9467224009

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	निरीक्षक राजेश यादव खाद्य आपूर्ति विभाग व्यासपुर			1. खाद्य आपूर्ति विभाग व्यासपुर, जिला यमुनानगर YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA
2	प्रधान गुलाब सिंह			1. व्यासपुर सैक्टर राशन डिपूओ का, प्रधान जिला यमुनानगर YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है
सेवा में,
इन्सपेक्टर साहब, विजीलेंस, यमुनानगर ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं नितिन कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द निवासी जोगी मोहल्ला गांव व डाकखाना व्यासपुर जिला यमुनानगर का स्थाई निवासी हूँ। मैं गांव व्यासपुर में सरकारी राशन का डिपू धारक हूँ, मेरे डिपू की FPS ID 107100300108 है। व्यासपुर सैन्टर में लगभग 85 सरकारी राशन डिपू हैं। पिछले कुछ समय पहले व्यासपुर सैन्टर में राजेश यादव नाम का इन्सपैक्टर आया है जिसने व्यासपुर सैन्टर के सभी डिपू धारकों की मीटिंग कपालमोचन के रविदास मन्दिर में ली थी जिसने मीटिंग में कहा था कि अगर डिपू चलाना है तो मंथली देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिस के भी खर्च है। उसने मीटिंग में कहा कि प्रधान गुलाब सिंह से मंथली के बारे में बात कर लेना। गुलाब सिंह व्यासपुर सैन्टर के सभी राशन डिपूओं का प्रधान बना हुआ है। गुलाब सिंह की पत्नी संतरा देवी के नाम से भी गांव भुटेडी में एक सरकारी राशन डिपू है। इस मीटिंग के बाद गुलाब सिंह मेरे डिपू पर आया था जिसने मुझे कहा कि गेहूँ के वितरण पर 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मासिक मंथली रिश्त देनी पड़ेगी नहीं तो इन्सपैक्टर राजेश यादव आपके डिपू की चैकिंग करके कुछ ना कुछ कमी निकालकर या तो नोटिस निकाल देगा या रिपोर्ट बनाकर डिपू की सप्लाई सस्पेंड कर देगा। मैंने उसको यह मंथली देने से मना कर दिया था। जिसके बाद गुलाब सिंह मुझे कई बार मिला जिसने मुझे व मेरे दोस्त सुदेश कुमार पुत्र श्री पाल चन्द निवासी गांव ककडोनी, जिला यमुनानगर जिसका गांव ककडोनी, व्यासपुर सैन्टर में सरकारी राशन का डिपू है, को चेतावनी दी कि हम दोनों के अलावा बाकि सबने मंथली रिश्त दे दी है अगर हमने नहीं दी तो हमारे खिलाफ कारवाई तय है। जिसने मुझसे व मेरे दोस्त सुदेश से माह जुलाई व माह अगस्त 2025 में गेहूँ के वितरण के लिए 3600 रुपये, 15 अगस्त पर बांटे गए लड्डूओं के लिए 500, 500, 1000/- रुपये तथा डायरेक्टर ऑफिस की टीम के नाम पर 1000, 1500, 2500/- रुपये कुल 7100/- रुपये मंथली रिश्त के तौर पर मांगे हैं। हम दोनों उसको यह रिश्त नहीं देना चाहते। मेरा दोस्त सुदेश कुमार भी आज मेरे साथ आया हुआ है। मैंने इस बारे में गुलाब सिंह से फोन पर हुई बातचीत की रिकार्डिंग भी की हुई है जो मैं बाद में आपको पेश कर दूंगा। गुलाब सिंह ने हमें कहा था कि जब तुम्हारे पास मंथली रिश्त के 7100/- रुपये का इंतजाम हो जाए तो मुझे फोन कर लेना मैं आपके पास आकर ले जाऊंगा। मैं गुलाब सिंह को यह रिश्त नहीं देना चाहता परन्तु वह मुझे रिश्त देने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए मैं उसे यह 7100/- रुपये बतौर रिश्त देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। कृप्या करके उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाए। SD NITIN KUMAR, 20.08.2025 MOBILE NO. 9467224009

कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक मय उप निरीक्षक संजय कुमार न. 160/ए. सहायक उप निरीक्षक राजकुमार न. 209/ कुरुक्षेत्र, मुख्य सिपाही अनिल कुमार न. 296/अम्बाला वा सिपाही गौरव कुमार न. 1593/अम्बाला के कार सरकार के सम्बन्ध में हाजिर यूनिट राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर था कि शिकायतकर्ता नितिन कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द निवासी जोगी मोहल्ला गांव व डाकखाना व्यासपुर जिला यमुनानगर ने हाजिर यूनिट आकर अपनी एक हस्तलिखित दरखास्त उपरोक्त मन निरीक्षक को पेश की। दरखास्त उपरोक्त के सार से अपराध धाराधीन 7ए पी.सी. एक्ट 1988 का होना पाया जाता है जो हालात बारे अफसरानबाला को बजरिया टेलीफोन सूचित किया गया तथा रेड की कार्यवाही के लिए राजपत्रित अधिकारी / स्वतंत्र गवाह नियुक्त करने बारे अनुरोध किया गया। दरखास्त उपरोक्त पर लेख तैयार करके अभियोग अंकित करवाने के लिए सिपाही गौरव कुमार न. 1593/अम्बाला को थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सेक्टर-17, पंचकूला भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे तथा स्पेशल रिपोर्ट अभियोग उपरोक्त स्पेशल मैसेन्जर वा ईमेल के माध्यम से स्पेशल जज यमुनानगर की सेवा में वा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जावें। अभियोग की कॉपी व असल लेख मौका पर भिजवाई जावे। मन निरीक्षक रेड कारवाई की औपचारिकताएं पूरी करने में व्यस्त होता हूँ।

अज:- राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर।

SD SURESH KUMAR

(सुरेश कुमार),

निरीक्षक/अन्वेषणकर्ता अधिकारी,

थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला।

दिनांक: 20.08.2025

समय : 11.50 AM

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 10 दिनांक 20.08.2025 धारा 7A पी.सी.एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17 पंचकुला अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पेशल मैजीस्ट्रेट साहब, जगाधरी, जिला यमुनानगर की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है। असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल बादस्त सिपाही गौरव कुमार 1593/अम्बाला के अनुसंधान अधिकारी के पास मौका पर भेजी जा रही है। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Suresh Rank (पद): I (Inspector)
Kumar
No. (सं.): 50 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): VIRENDER SINGH
SANGWAN

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

